

₹ १,५००.००

सं० ३८५५/१४-ख-२० (३०४)-६६ - अधिसूचना सं० ४०६३, (२) १४ मार्च, दिनांक ३० मार्च, १९६७ (२)
 १४-ख-६६, दिनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा २३ (२) १४ मार्च, १९६७ के अधीन, प्रस्तावित भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (एक्ट नं० १६, १९२७) के अधीन, प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव किया गया था, और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है; और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "क" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं; अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के लिये उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक ११ मार्च, १९७१ से रक्षित वन घोषित करने हेतु और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ख" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गयी सीमा तक प्रयोग और रियायतें, ऐसी अनुसूची में उक्त वनों के ऐसे भागों में भी नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा नियत किए जायें, बराबर मिलती रहेंगी।

सूची "क"
 ज(फरा) वेस्ट सुरक्षित वन
 स्थिति एकरफल ३८१२.८८ एकड़

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल	सीमायें
१	२	३	४	५	६	७
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	मोटाह भाग	२५२/१	११ १५ ०	✓
				२६६	८ ११ ०	✓
				२७५	३७ ०० ०	✓
				२८७/१	३७ ०६ ०	✓
				३०५ और ३०६	१८० १२ ०	✓
				३०७/२-सि०	१०६ ०० ०	✓
				३०८	१३५ १५ ०	✓
				योग	११५५ ०२ ०	✓
				अथवा	११४० ६६ एकड़	✓
				२ से ६	१५५ ०७ ०	✓
				७-१०	१३ ०३ ०	✓
				८ से १४	६८ ०३ ०	✓
				१४-सि०	८६१ १५ ०	✓
				१६	२०७ १५ ०	✓
				योग	१३६६ ०५ ०	✓
अथवा	८५३.६० एकड़	✓				
नजीबाबाद भाग	नजीबाबाद	नजीबाबाद	नजीबाबाद भाग	६४	१०५८ ०२ ०	✓
				६५	२३६ ०० ०	✓
				६६ से ६८	५०१ १२ ०	✓
				६९ से ७५	३६८ १३ ०	✓
				७६ से ८०	३ ०१ ०	✓
योग	२१६६ ३३ ०	✓				

प्रशासक वनाधिकारी
 बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
 Social Forestry Division

परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
 PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

२७ जुलाई, १९६० ई०

सं० १७६८/१४-ख--२०(१४८)-६६--विनपि संख्या बी-४०१३(२)/१४-ख, विनांक ३० अगस्त, १९६०, सं० २३(२)५६/१४-ख-६६, विनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा सं० २३(२)८०/१४-ख-६७, विनांक ५ जनवरी, १९६८ द्वारा, संलग्न अनुसूची "क" में निदिष्ट भूमि को, इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के बावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट द्वारा निदिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, अब, उपरोक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते, राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, विनांक २१ जनवरी, १९७१ से रक्षित वन घोषित करे हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि अनुसूची "ख" में उल्लिखित भावों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी क्रतुओं में, उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, अदायग मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

जाकराबाद ईस्ट सुरक्षित वन

स्थिति एवं क्षेत्रफल

3171.83 एकड़

जिला	तहसील	परगना	भाग	बनकरा प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल	मोनार्थ		
१	२	३	४	५	६	७		
बिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	कौडिया (भाग)	२२	३१	०		
				२४	१२६	१७		
				२६	३२८	१५		
				३०-ए०	०	१२		
				३१-मि०	४	०		
				३२-मि० भाग	६७	१		
				३२-मि० भाग	१६१	३		
				३३	०	२		
				योग ..	७१६	१०	अथवा ४४६.६६ एकड़	
				साईवाला (भाग)	४/१	४	१७	०
						५	१६	०
						११ से १३	२१	५
						१४/१	६००	१५
						१५/३-मि० भाग	३२२	३
१५/३-मि० भाग	१२	१४						
१६	४	२						
योग ..	६८५	१२	अथवा ६१६.०० एकड़					

परियोजना निदेशक /Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 पी०आई०एच० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
 PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

प्रभागीय प्रशासिका
 बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director
 Social Forestry Division
 BIJNOR